

कार्यालय, नगरपालिका-परिषद, रामनगर, वाराणसी।

सं 1200/14 वां0वि0आ0/2019-20

(अल्पकालीन निविदा सूचना)

दिनांक : फरवरी 17, 2019

जिलाधिकारी महोदय द्वारा 14 वॉ वित्त आयोग की धनराशि के अन्तर्गत निम्नांकित स्वीकृत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में पालिका के पंजीकृत ठीकदारों से निविदायें दिनांक 26.02.2020 को पूर्वान्ह 10.30 से अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो उसी तिथि को अपरान्ह 3.30 बजे अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल)/प्रभारी अधिकारी,स्थानीय निकाय, महोदय के समक्ष खोली जायेंगी। निविदाओं का विक्रय दिनांक 25.02.2020 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक किया जायेगा। कार्य सं 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 व 16 की निविदायें उपर्युक्त तिथि व समय के अनुसार पालिका कार्यालय के साथ-साथ कार्यालय, जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय तथा उपजिलाधिकारी सदर, में रखे गये निविदा बाक्स में डाली जायेगी और वहीं पर बेची जायेगी। इस निविदा शर्तों का पालन करने वाले व्यक्ति जिन्हें कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो, भाग ले सकते हैं।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
टोस अपशिष्ट प्रबन्धन					
1	वार्ड नं० 4 में शुभम पैथालाजी से धोबिया पुल तक सीवर लाईन का कार्य	6,27,559.00	10 प्रतिशत	710.00	15 दिन
2	वार्ड नं० 9 में मुन्नी लाल के घर से आत्माराम के घर तक आर०सी०सी० ढक्कन लगाने का कार्य	3,10,303.00	..	350.00	15 दिन
3	वार्ड नं० 8 में देवराबीर बाबा से प्रवीण सिंह से होते हुये रमेश शमा के घर तक सीवर लाईन का कार्य	3,33,702.00	..	400.00	15 दिन
4	वार्ड नं० 20 में छोटई लाल के मकान से गंगाराम भूजा और गोपाल के घर तक सीवर एवं चौका पत्थर रिसेटिंग का कार्य	4,58,338.00	..	520.00	15 दिन
5	वार्ड नं० 14 में भूसा की दुकान से साहित्यनाका मोड़ (गैस एजेन्सी) तक सीवर लाईन का कार्य	6,09,923.00	..	700.00	20 दिन
निर्माण					
6	वार्ड नं० 21 में सुगानू स्कूल से अर्जुन यादव के घर से होते हुये चमरू निषाद और ताजू यादव के घर तक चौका पत्थर रिसेटिंग का कार्य	8,21,450.00	..	1000.00	20 दिन
7	वार्ड नं० 8 में देवराबीर बाबा से आशीष मौर्या तक रिटनिंग बाल का निर्माण	7,48,357.00	..	850.00	20 दिन
8	वार्ड नं० 8 में शम्भू पान वाले से रामशीला देवी तक इण्टरलाकिंग का कार्य	2,98,005.00	..	350.00	15 दिन
9	वार्ड नं० 8 में कमालुद्दीन के घर से पाकिजा टेन्ट हाउस तक चौका पत्थर रिसेटिंग का कार्य	2,13,223.00	..	350.00	15 दिन
10	वार्ड नं० 23 में निजाम के दुकान से मारकण्डी यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य	5,00,560.00	..	600.00	20 दिन
11	वार्ड नं० 17 में वन्टी अहमद से अरशद और रितेश राय के मकान तक चौका पत्थर रिसेटिंग एवं इण्टरलाकिंग का कार्य	5,59,451.00	..	650.00	20 दिन
12	वार्ड नं० 17 में डा० धर्मेन्द्र तिवारी के घर से वीरेन्द्र वकील के घर तथा संजय सिंह के घर तक चौका पत्थर रिसेटिंग का कार्य	5,37,792.00	..	650.00	20 दिन
13	वार्ड नं० 21 में मनीष मिश्रा के मकान से रामचन्द्र यादव के मकान तक चौका पत्थर रिसेटिंग का कार्य	3,49,950.00	..	400.00	15 दिन
14	वार्ड नं० 2 अशोक सोनकर के मकान से अजयनाथ सोनकर और गोपाल मौर्या के मकान से राकेश पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	2,51,071.00	..	300.00	15 दिन
15	वार्ड नं० 12 में राजू मौर्या के घर से गोबर धोबी के घर तक चौका पत्थर रिसेटिंग का कार्य	5,73,782.00	..	650.00	20 दिन
16	वार्ड नं० 15 में रोमा विल्डिंग के सामने पी०डब्ल्यू०डी०रोड से राधेश्याम के बगीचा तक इण्टरलाकिंग का कार्य	7,30,366.00	..	850.00	20.00

शर्तें-

- निविदा के साथ जमानत की धनराशि बैंक डी०डी०/एफ०डी०आ०० के रूप में अधिशासी अधिकारी न०पा०परिषद रामनगर के नाम प्लेज्ड मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं कोई भी या समस्त निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- निविदा के साथ चरित्र प्रमाण पत्र टी-4, हैसियत प्रमाण पत्र टी-5, व्यापार कर प्रमाण पत्र, पैन कार्ड पत्र संलग्न करना होगा, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा के साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप जिसे पालिका कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, के अनुसार रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर स्व घोषणा पत्र (शपथ पत्र) टी-6 मूल रूप में संलग्न करना होगा।
- नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
- संबंधित को अपने व्यय पर निविदा स्वीकृति के उपरान्त 3 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
- ठीकदारों को कार्यों के अनुसार श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में कराना आवश्यक होगा।
- लिफाफे के उपर कार्य का नाम अंकित करना होगा।
- ठीकदार को जी०एस०टी०में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसका प्रमाण संलग्न करना होगा।
- ऐसे व्यक्ति जो पालिका में पंजीकृत नहीं है, और उपर्युक्त शर्तों का पालन करने पर निविदा में भाग लेंगे उन्हें अनुभव प्रमाण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, तथा उनकी निविदा न्यून होने की स्थिति में पालिका नियमों के अधीन पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(संजय कुमार)
अधिशासी अधिकारी।



(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष।